कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/आ0निरीक्षण/ — /2023 दिनांक 27/04/2023

::–आकस्मिक निरीक्षण::–

आज दिनांक 27.04.2023 को पूर्वान्ह 11.15 बजे सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ–1,2,3,4,5 व 6, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, कानपुर पीठ–1,2,3 व 4, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण गाजियाबाद पीठ–1 व 2, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, मेरठ पीठ–1 व 2 का आकस्मिक निरीक्षण दूरभाष द्वारा किया गया। सम्बन्धित सभी सदस्यों के लैण्ड–लाइन कार्यालय दूरभाष पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु सभी स्थानों पर दूरभाष से सम्पर्क नही हो पाया है तथा सम्बन्धित जनपद के कर्मचारियों के मोबाइल पर मेरे प्रधान सहायक द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क कर उपस्थिति की जानकारी एकत्रित की गयी तथा वाट्स–एप पर उपस्थिति पंजिका, आकस्मिक अवकाश एवं डेली सिटिंग की छायाप्रति माँगी गयी। जिसका विवरण निम्नवत है:–

1–वाराणसी पीठ–1,2,3,4,5 व 6, कार्यरत चारों सदस्य उपस्थित पाये गये। प्रेषित सूचना के अनुसार वाराणसी स्थित सभी पीठों में सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारी उपस्थित पाये गये तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में श्री राधेश्यात दफ्तरी एवं श्री रामदरस कार्यालय सेवक पीठ–1 वाराणसी एवं श्री पवन कुमार कार्यालय सेवक पीठ–3 वाराणसी, श्री राजेश कुमार सिंह, कार्यालय सेवक पीठ–6 वाराणसी अनुपस्थित पाये गयें। कार्यालय पीठ–6 का उपस्थिति पंजिका सदस्य/प्रभारी सदस्य द्वारा अवलोकित नही है।

2–कानपुर पीठ–1,2,3 व 4, कार्यरत सदस्यों में से श्री दया शंकर तिवारी सदस्य पीठ–2 कानपुर अनुपस्थित पाये गयें। निरीक्षण के दौराना कार्यालय में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र सदस्य द्वारा नही दिया गया तथा पीठ–3 में कार्यरत प्रधान सहायिका कु0 विनीता मेहरोत्रा अनुपस्थित पायी गयी। चारों पीठों की उपस्थिति पंजिका सदस्य एवं प्रभारी सदस्य से अवलोकित नही कराई गयी है। प्रायः यह देखा गया है कि प्रत्येक आकस्मिक निरीक्षण के समय पीठ–3 की प्रधान सहायिका अनुपस्थित पायी जाती है तथा इस सम्बन्ध में प्रभारी सदस्य को निर्देशित किया जाता है कि पीठ–3 कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए समय बद्व उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3–गाजियाबाद पीठ–1 व 2, कार्यरत सदस्यों में से श्री कुनाल वेपा, न्यायिक सदस्य पीठ–1 अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गयें। निरीक्षण के दौराना कार्यालय में एवं पोर्टल पर किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र न्यायिक सदस्य द्वारा नही पाया गया। 11:45 बजे पोर्टल के माध्यम से निरीक्षण के पश्चात अवकाश प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ।

4–मेरठ पीठ–1 व 2, कार्यरत सदस्य श्री बाबूलाल पीठ–2 मेरठ, अनुपस्थित पाये गयें। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र सदस्य द्वारा नही दिया गया एवं उपस्थिति पंजिका पीठ–1 व 2 की पूर्व के दिनांक में अवलोकित नही है।

निरीक्षण के समय अनुपस्थित सदस्यगण अपना–अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करें। इसी प्रकार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि अपने कार्यालय की उपस्थिति पंजिका 10:00 बजे अवलोकित करते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों की समयबद्व उपस्थिति सुनिश्चित करें।

ह0/27.04.2023
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन–वा0क0अधि0/आ0निरीक्षण/ 1416 /2023 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कार्यालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी, पीठ–1,2,3 व 4, कानपुर, पीठ–1 व 2 गाजियाबाद, एवं पीठ–1 व 2 मेरठ ।

2– वरिष्ठ सहायक (विवरण) मुख्यालय।

आज्ञा से

प्रभारी निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।